न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारीः– अंजु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं. 95/2019

1. राजू शर्मा पुत्र श्री नानगराम शर्मा उम्र 55 साल निवासी ब्राह्मण निवासी श्यामनगर, प्लॉट नम्बर 49, बैनाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, नीमकाथाना जिला सीकर ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थितिः– श्री राजेन्द्रसिंह तंवर एडवोकेट– प्रार्थी

निर्णय

दिनांकः 13.8.2019

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि भूमि पुराना ख.नं. 358/383 रकबा 1.40 हे. राजस्व ग्राम लादीकाबास तहसील नीमकाथाना में स्थित है। जिसके नये सैटलमेंट में नये खसरा नम्बर 699/753 रकबा 1.40 हे. राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये है। उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी प्रार्थी के नाम से है। प्रार्थी काबिज काश्त बहैसियत मालिक काबिज चला आ रहा है।

ख.नं. पुराने 358/383 रकबा 1.40 हे. का पहले राजस्व नक्शा मे तरमीम नहीं की गयी थी। उक्त भूमि की अलग से मौके पर सींव डोल बने हुए है। उक्त खसरा नम्बर मूल खसरा नम्बर 358 से बने है।

नये सैटलमेंट में जब तरमीम की गयी तो प्रार्थी जहां काबिज काश्त चला आ रहा था उस स्थान पर नहीं की जाकर अन्य स्थान पर गलत तरमीम कर दी गयी। प्रार्थी का अन्य जगह पर कब्जा दिखाया गया है। प्रार्थी का कब्जा नक्शे में खसरा नम्बर 699/753 पर जहां दिखा रखा है, वहां न होकर इसके दक्षिणी पूर्वी तरफ है। जिसे प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी डी ई दर्शाया गया है।

गलत तरमीम संबंधी जानकारी प्रार्थी को 27.02.2019 को नये नक्शे की नकल लेने पर हुयी। आवश्यक नकलें प्राप्त की जाकर अप्रार्थी को उक्त अशुद्धी को शुद्धी किये जाने बाबत लिखित व मौखिक रूप से निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी। इसलिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner

सम्वत् 2075–2078, 2055–2058, नक्शा ट्रेस ग्राम लादीकाबास पुराना खसरा नम्बर। नया खसरा नम्बर नजरी नक्शा ग्राम लादी का बास प्रस्तुत किये गये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्ते सुनवाई नोटिस विरूद्ध अप्रार्थी जारी किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मय पटवारी रिपोर्ट जवाब पेश किया गया । तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा अपने जवाब में प्रार्थी का कब्जा प्रस्तुत नजरी नक्शा A B C D स्थल पर होना स्वीकार किया गया है।

दौराने बहस विज्ञ अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए तर्क दिया कि मौके पर सही तरमीम नहीं करने तथा सेटलमेंट द्वारा नये खसरा नम्बरान डालने पर भिन्नता पैदा हुई है। तहसीलदार नीमकाथाना की रिपोर्ट से प्रार्थी का कब्जे काश्त की पुष्टि हो रही है। प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रमाणित हो रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्त किये जाने तरमीम स्वीकार किया जाकर आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अधोपान्त अवलोकन किया गया। जबाब तहसीलदार पर गौर किया गया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के प्रार्थी रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार होना पाया जाता है। मूल खसरा नम्बर 358 एवं इसी नम्बर से बने ख.नं. 358/383 के नक्शा ट्रेस में तरमीम होना नहीं पाया जाता है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का के नवीन सैटलमेंट में ख.नं. 699/753 रकबा 1.40 हेक्टेयर की जहां तरमीम की गयी है वह भूमि उबड़–खाबड़, बंजर पहाड़ी क्षेत्र होना बताया गया है जो काबिल काश्त नहीं है। ख.नं. 699/753 के दक्षिणी पूर्वी तरफ मौके व रिकार्ड का निरीक्षण करने पर भूमि समतल व काश्त योग्य बताई गई है तथा सींव डोल बनी हुई बताई गयी है। नक्शे में तरमीम को कब्जे के विपरीत होना बताया गया है। तहसीलदार नीमकाथाना के जवाब से भी प्रार्थी का कब्जा नजरी नक्शा A B C D स्थल पर होना प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत रिकार्ड दुरूस्ती मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं पटवारी हल्का लादीकाबास के स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना को आदेश दिया जाता है कि ग्राम लादीकाबास के भूमि ख.नं. 699/753 रकबा 1.40 हे. की तरमीम जो वर्तमान सैटलमेंट द्वारा की गयी है निरस्त की जाती है। जहां प्रार्थी/खातेदार काबिज काश्त है उसी स्थान पर नक्शा में सही व शुद्ध तरमीम की जावे। आदेश की पालना में तहरीर जारी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned by CamScanner